

प्रेस-विज्ञप्ति

## थाना तरवां

हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05/06/2022 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह परमानपुर चौराहा पर मामूर थे कि सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम बहलोलपुर बरेहता मे घटित घटना का अभियुक्त महेन्द्र खरवार अपने घर पर दिखाई पडा है यदि जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है इस सूचना तत्काल प्रस्थान कर ग्राम बहलोलपुर बरेहता मे घटित घटना के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु.अ.स. 0139/22 धारा 323,504,506,307 से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त महेन्द्र खरवार के घर से पहले अभियुक्त के घर पर पहुचे घर के नाम पर मात एक छप्पर दिखाई पडा जिसमे वांस के पट्टी का दरवाजा लगा है। दरवाजा खुलवाया गया तो अन्दर से एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला जिसका नाम पता पुछा गया तो अपना नाम महेन्द्र खरवार पुत्र सदाबृज खरवार निवासी ग्राम बहलोलपुर बरेहता बताया जिसे मौके पर मुकदमा उपरोक्त मे वंछित अभियुक्त होने का कारण बताते हुए समय करीब 9.10 बजे बजाफता हिरासत पुलिस मे लिया गया अभियुक्त से मुकदमा उपरोक्त के घटना मे प्रयुक्त आला कत्ल वांका के सम्बन्ध मे कडाई से पुछताछ किया गया तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि साहब जिस वांका से मैने अवने भाई अलगु खरवार को मारा था उसे मै अपने इसी छप्पर मे अन्दर ही रखा हूँ आपको दे देता हूँ इस बात पर मौके पर उपस्थित वादीनी मुकदमा एवं अभियुक्त की बहन रानी के साथ पुलिस वाले अभियुक्त के साथ छप्पर के अन्दर गये तो अभियुक्त द्वारा पुवाल मे वाके को लपेट कर छप्पर मे लगी टाटी मे अन्दर था, जिसे निकालकर अभियुक्त द्वारा दिया गया जिसे देखा गया तो वाके पर खुन लगा हुआ दिखाई पडा वांके को देखते ही वादीनी मुकदमा व रानी द्वारा बताया गया की साहब इसी वांके से इसने जान से मारने के लिये मारा था, घटना मे प्रयुक्त आला कतल वांका के वरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे जुर्म धारा 4/25A Act की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का स्थान .. बहलोलपुर बरेहता ( अभियुक्त का घर ) थाना तरवां जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 139/22 धारा 323/504/506/307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

महेन्द्र खरवार पुत्र सदाबृज खरवार निवासी ग्राम बहलोलपुर बरेहता थाना तरवां जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

घटना मे प्रयुक्त आला कत्ल वांका

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह का0 गुलशेर अली का0 प्रवीण सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना कोतवाली जीयनपुरअवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 05/06/2022 को व.उ.नि. प्रदीप कुमार राही मय हमराह द्वारा द्वारा अभियुक्त सर्फराज खान पुत्र मो0 वकील खान निवासी ग्राम अमिला बाजार पठान टोला थाना घोसी जनपद-मऊ को ग्राम बेरमा पावर हाउस के पास से समय करीब 11.35 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से एक अदद अवैध तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर जिसके सम्बन्ध मे थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 339/2022 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 339/2022 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

**बरामदगी –**

1. एक अदद अवैध तमंचा .303 बोर ।
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद ।

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

सर्फराज खान पुत्र मो0 वकील खान निवासी ग्राम अमिला बाजार पठान टोला थाना घोसी जनपद-मऊ ।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम –**

1. व.उ.नि. प्रदीप कुमार राही का0 श्रेष्ठ यादव यादव का0 शुभम यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ ।

### **थाना-फूलपुर**

### **हत्या का प्रयास करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

**1. घटना का विवरण ---** दिनांक 03.06.2022 को नीरज यादव पुत्र राम प्रकाश यादव ग्राम इटकोहिया परगना माहुल थाना व तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा प्राप्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/2022 धारा 307,323,504,506,427 भादवि बनाम 1. अशोक कुमार पुत्र राम प्रीत यादव 2. बब्लू यादव उर्फ बिन्दू प्रकाश पुत्र राम प्रीत यादव 3. शिवशंकर यादव पुत्र हरिवंश यादव 4. हरिवंश यादव पुत्र स्व0 चन्द्र बली यादव साकिनान इटकोहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ के पंजीकृत विवेचना उ0नि0 श्री माखन सिंह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना सम्पादित की जा रही है ।

**2. गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण-** दिनांक 05.06.2022 उ0नि0 माखन सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तग 1. शिवशंकर यादव पुत्र हरिवंश यादव उम्र 32 वर्ष 2. हरिवंश यादव पुत्र स्व0 चन्द्रबली यादव उम्र 52 वर्ष साकिनान इटकोहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को अम्बारी चौराहे के पास से समय 10.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**सम्बन्धित मुकदमा -**

**मु0अ0सं0 191/2022 धारा 307,323,504,506,427 भादवि** थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

**अपराधिक इतिहास-**

1. शिवशंकर यादव पुत्र हरिवंश यादव उम्र 32 वर्ष साकिनान इटकोहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	191/2022	1. मु0अ0सं0 191/2022 धारा 307,323,504,506,427 भादवि थाना फूलपुर	फूलपुर	आजमगढ़

2. हरिवंश यादव पुत्र स्व0 चन्द्रबली यादव उम्र 52 वर्ष साकिनान इटकोहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	191/2022	1. मु0अ0सं0 191/2022 धारा 307,323,504,506,427 भादवि थाना फूलपुर	फूलपुर	आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. शिवशंकर यादव पुत्र हरिवंश यादव उम्र 32 वर्ष साकिनान इटकोहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. हरिवंश यादव पुत्र स्व0 चन्द्रबली यादव उम्र 52 वर्ष साकिनान इटकोहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 श्री माखन सिंह का0 वीरेन्द्र यादव का0 विशाल वर्मा रि0का0 सुधीर कुमार विश्वकर्मा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

थाना- फूलपुर

गैंगेस्टर एक्ट में 01 गिरफ्तार

दिनांक 05.06.2022 प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह मय हमरहियान द्वारा होकर देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी में मामूर थे कि सूचना मिली कि मु0अ0सं0 189/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अशोक कुमार पुत्र स्व0 गोलाराम सा0 जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ इस समय घर पर मौजूद है जो जो कही जाने की फिराक में है इस सूचना पर तत्काल प्र0नि0 मय हमरहियान के मौके से रवाना होकर तत्काल पान की दुकान पर खडे उन व्यक्तियों के पास पहुंचे कि वह दोनो व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर हडबडा गये जिनसे पुलिस द्वारा पकड़कर उनका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अशोक किमार पुत्र स्व0 गोला राम सा0 जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ को समय करीब 10.45 बजे दिन अभि0 के घर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

सम्बन्धित मुकदमा -

मु0अ0सं0 189/2022 धारा (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1. अशोक कुमार पुत्र स्व0 गोलाराम साकिन जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	212/2019	1.मुअ0सं0 212/2019 धारा 147,452,323,504,506,427 भादवि थाना फूलपुर	फूलपुर	आजमगढ़
2	48/2021	2.मुअ0सं0 48/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 फूलपुर	फूलपुर	आजमगढ़
3.	74/2021	3..मुअ0सं0 48/2021 धारा148,149,323,324,352,504,506,304 भादवि थाना फूलपुर	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अशोक कुमार पुत्र स्व0 गोलाराम साकिन जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह हे0का0 कमलेश मिश्रा का0 जितेन्द्र यादव व का0 प्रदीप कुमार यादव थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना- जहानागंज

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** पुनीत सिंह पुत्र विजय बहादूर सिंह निवासी ग्राम बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिये बाबत नाले के पानी के विवाद को लेकर प्रतिवादीगण द्वारा घर में घुस कर गाली गुप्ता व धमकी देते हुये लाठी डण्डा व कुल्हाड़ी से मारने पीटने जिससे निलेश सिंह के सर में गम्भीर चोट लग गया, के संबन्ध में दिये मु0अ0सं0 232/22 धारा 323/504/506/324/308/452/34 भादवि बनाम 1. दिनेश सिंह 2. मिथलेश सिंह 3. राकेश सिंह पुत्रगण श्यामनरायन सिंह 4. अजीत सिंह 5. रूपेश सिंह पुत्रगण राकेश सिंह 6. जतीन सिंह पुत्र मिथलेश सिंह निवासीगण बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 7. आशुतोष सिंह पुत्र अज्ञात पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वादी मुकदमा मिथलेश सिंह पुत्र विजय बहादूर सिंह निवासी ग्राम बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज आजमगढ़ सूचना दिये कि नाले के पानी के विवाद को लेकर प्रतिवादीगण द्वारा कृष्णपाल सिंह को गाली गुप्ता व धमकी देते हुये लाठी डण्डा व धारदार हथियार

से मारने पीटने जिससे कमलेश सिंह के सर में गम्भीर चोट लगने व हाथ टूट जाने के संबन्ध में सूचना दिये जिसके आधर मु0अ0सं0 233/22 धारा 323/504/506/324/325/308/34 आईपीसी बनाम 1. आलोक सिंह 2. सौरभ सिंह 3. पुनित सिंह पुत्रगण विजय बहादूर सिंह 4. विक्की उर्फ शुभम सिंह निवासीगण बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण: दिनांक- 05.06.2022 को** उ0नि0 विकासचन्द्र पाण्डेय मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो को ग्राम बड़ौरा बुजुर्ग से अभियुक्त दिनेश व मिथिलेश कही जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि पुलिस पार्टी एकबारगी घेर कर हल्का बल प्रयोग कर उपरोक्त अभियुक्तों को हिरासत पुलिस मे समय करीब 06.15 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पता 1.दिनेश सिंह पुत्र स्व0 श्यामनरायण सिंह उम्र 57 वर्ष निवासी बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 2. मिथिलेश सिंह पुत्र विजयबहादुर सिंह उम्र 46 वर्ष निवासीगण बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताये । गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पुनः उ0नि0 विकासचन्द्र पाण्डेय मय हमराह को मु0अ0सं0 233/22 धारा 323/504/506/324/325/308/34 आईपीसी से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम सिंह उर्फ विक्की अपने घर पर मौजूद है तथा कही जाने की फिराक मे है यदि आप जल्दी करेंगे तो पकड़ा जा सकते है । सूचना पर उ0नि0 मय हमराहगण के ग्राम बड़ौरा बुजुर्ग पहुचे तो अभियुक्त उपरोक्त कही जाने के लिए तैयारी कर रहा है कि मुखबीर ने इशारा कर के बताकर चला गया कि यही अभियुक्त है। जिसने मारा पीटा है। ततपश्चात हम पुलिस पार्टी एकबारगी घेर कर हल्का बल प्रयोग कर उपरोक्त अभियुक्त को हिरासत पुलिस मे समय करीब 07.45 बजे गिरफ्तार किया गया। और नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पता शुभम सिंह उर्फ विक्की पुत्र कमलाकर सिंह निवासी बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताया । गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पुनः उ0नि0 विकासचन्द्र पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त परदेशी मोड पर मौजूद है तथा कही जाने की फिराक मे है यदि आप जल्दी करेंगे तो पकड़ा जा सकते है । परदेशी मोड पहुचे तो अभियुक्त उपरोक्त कही जाने के लिए तैयारी कर रहा है कि मुखबीर ने इशारा कर के बताकर चला गया कि यही अभियुक्त है। जिसने मारा पीटा है। ततपश्चात हम पुलिस पार्टी एकबारगी घेर कर हल्का बल प्रयोग कर उपरोक्त अभियुक्त को हिरासत पुलिस मे समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। और नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पता आलोक सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताया गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

#### **पंजीकृत अभियोग:-**

1. मु0अ0सं0 232/22 धारा 323/504/506/324/308/452/34 भादवि बनाम 1. दिनेश सिंह 2. मिथिलेश सिंह 3. राकेश सिंह पुत्रगण श्यामनरायन सिंह 4. अजीत सिंह 5. रूपेश सिंह पुत्रगण राकेश सिंह 6. जतीन सिंह पुत्र मिथिलेश सिंह निवासीगण बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 7. आशुतोष सिंह पुत्र अज्ञात पता अज्ञात

(2). मु0अ0सं0 233/22 धारा 323/504/506/324/325/308/34 आईपीसी बनाम 1. आलोक सिंह 2. सौरभ सिंह 3. पुनित सिंह पुत्रगण विजय बहादूर सिंह 4. विक्की उर्फ शुभम सिंह निवासीगण बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

**अपराधिक इतिहास - दिनेश सिंह पुत्र श्यामनरायन सिंह निवासी बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़**

1. मु0अ0सं0 482/11 धारा 323/504/506/452 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 242/21 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

**अपराधिक इतिहास – मिथिलेश सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़**

1. मु0अ0सं0 242/21 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

**अपराधिक इतिहास – आलोक सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़**

1. मु0अ0सं0 242/21 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

#### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1.दिनेश सिंह पुत्र स्व0 श्यामनरायण सिंह उम्र 57 वर्ष निवासी बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

2. मिथिलेश सिंह पुत्र विजयबहादुर सिंह उम्र 46 वर्ष निवासीगण बड़ौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

3. शुभम सिंह उर्फ विक्की पुत्र कमलाकर सिंह निवासी बडौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
4. आलोक सिंह पुत्र बिजय बहादुर सिंह निवासी बडौराबुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1- प्र०नि० प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- उ०नि० उ०नि० विकासचन्द्र पाण्डेय थाना जहानागंज आजमगढ़
- 3- का० का० महेन्द्र मौर्या थाना जहानागंज आजमगढ़
- 4- का० जितेन्द्र यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

### थाना बिलरियागंज अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 05.06.2022 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम, भ्रमण अगामी उप लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मामूर होकर गोरिया बाजार में चेकिंग कर रहे थे कि सूचना मिली की एक व्यक्ति बड़िहारी शिव मन्दिर के पास खड़ा किसी व्यक्ति का इन्तजार कर रहा है, उसके पास अवैध असलहा हैं। यदि जल्दी किया जाय तो असलहे के साथ पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष मय हमराहीयान को मकसद बताते हुए गोरिया बाजार से प्रस्थान कर बड़िहारी शिव मन्दिर से कुछ दूर पहले पहुँचे कि मन्दिर के सामने पेड़ के नीचे खड़े व्यक्ति को एक बारगी घेरघार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम अशोक यादव पुत्र अभोरिक यादव निवासी ग्राम भलुवाई, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ बताया जिसकी जामा तलाशी में एक अदद तमंचा .12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति का यह कार्य जुर्म अन्तर्गत धारा 3/25 शस्त्र अधि० का अपराध पाकर बताकर समय करीब 08.45 AM बजे विधि अनुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

#### अभियुक्त का नाम व पता

1. अशोक यादव पुत्र अभोरिक यादव निवासी ग्राम भलुवाई, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़  
बरामदगी-

1. 01 अदद तमंचा .12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर

#### पंजीकृत अभियोग-

- मु०अ०सं० 116/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का० तेजबहादुर सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का० नितिन कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. म०का० ललिता सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

## थाना- मेहनाजपुर

### गम्भीर रूप से मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 05.06.2022 को उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रेमचन्द दूबे, द्वारा मु0अ0सं0 71/22 धारा 323/504/506/308 IPCसे सम्बन्धित अभियुक्त सिरपत पुत्र स्व0 शिवमूरत ग्राम इटैली थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को समय 05.35 AM बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### पंजीकृत अभियोग –

1. मु.अ.सं.71/2022 धारा 323,504,506,308 भा0द0वि0 थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़  
विवरण बरामदगी : एक अदद डंडा (हथियार)

#### गिरफ्तार अभियुक्त :

1. सिरपत पुत्र स्व0 शिवमूरत ग्राम इटैली थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह उ0नि0 प्रेमचन्द दूबे का0 रजत दीक्षित थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

### प्रेस-विज्ञप्ति

#### जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 278 लीटर अवैध शराब के साथ 15 गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अवैध शराब निष्कर्षण व भण्डारण के अड्डों व ईट भट्टों पर चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में आज दिनांक- 05.06.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा सुबह 05.00 से 07.00 बजे तक कुल 128 स्थानों पर दबिश दी गयी। जिसमें कुल 278 लीटर अवैध शराब के साथ 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

#### थानावार बरामदगी व गिरफ्तारी का विवरण-

1. थाना महाराजगंज से 50 लीटर अवैध शराब के साथ 02 गिरफ्तार
2. थाना बिलरियागंज से 40 लीटर अवैध शराब के साथ 01 गिरफ्तार
3. थाना अहरौला से 30 लीटर अवैध शराब के साथ 02 गिरफ्तार
4. थाना जीयनपुर से 35 लीटर अवैध शराब के साथ 01 गिरफ्तार
5. थाना रौनापार से 25 लीटर अवैध शराब के साथ 01 गिरफ्तार
6. थाना जहानागंज से 19 लीटर अवैध शराब के साथ 01 गिरफ्तार
7. थाना जीयनपुर से 18 लीटर अवैध शराब के साथ 03 गिरफ्तार
8. थाना कोतवली से 18 लीटर अवैध शराब के साथ 01 गिरफ्तार
9. थाना मुबारकपुर से 18 लीटर अवैध शराब के साथ 01 गिरफ्तार
10. थाना रानी की सराय से 15 लीटर अवैध शराब के साथ 01 गिरफ्तार
11. थाना निजामाबाद से 10 लीटर अवैध शराब के साथ 01 गिरफ्तार